Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–215 / 2025

श्री चंद्र प्रकाश पुत्र स्व0 दनी राम,
ग्राम– जैनोली, पो0ऑ0– पिलखोली,
तहसील–रानीखेत, जिला– अल्मोड़ा। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत,
जिला– अल्मोडा। — प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या **RN1B131911544** के सापेक्ष पिछले महीने 730 रू0 का बिल, जिसमें अंतिम रीडिंग 8580 थी, आया था, पंरतु वर्तमान में यह बिल रू0 18901 राशि का, 11420 रीडिंग तक, आया है। उन्होंने बिल को ठीक कराने का निवेदन किया है।

   प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 753 दिनांक 17.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत, जिला– अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.01.2025 में वादी की तरफ ये उनकें पुत्र श्री प्रदीप कुमार तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री आयुष चौहान SDO उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि विगत में मीटर रीडर द्वारा कम रीडिंग ली गयी थीं और अब एक्चुवल रीडिंग 11420 तक का बिल निर्गत हुआ है, जोंकि Due Date –30.01.2025 तक का 18901 रू0 का बना है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि डंप रीडिंग को संबंधित अवधि में वितरित कर तथा तत्कालीन टेरिफ स्लैब का लाभ देते हुये संशोधित बिल 15 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विभाग को यह भी निर्देशित किया गया था कि कम रीडिंग लेने वाले मीटर रीडर तथा उसके सुपरवाईजर के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से मंच को 15 दिन के अंदर अवगत कराना सुनिश्चित करें। वादी ने दूर आने की वजह से फोन नं0 6399714845 पर v/c के माध्यम से अगली सुनवायी में हिस्सा लेने की अनुमति माँगी थीं जिसे मंच द्वारा स्वीकार कर लिया था। अगली सुनवायी तिथि दिनांक 27.02.2025 को नियत की गयी थीं।

3. मंच की अंतिम सुनवायी, आज दिनांक 27.02.2025 में वादी की तरफ से श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री चंद्र प्रकाश उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान SDO ने बताया कि यह प्रकरण डंप रिडिंग से संबंधित था, जिसमें रू0 7034.50 का क्रेडिट देते हुए, वादी का बिल रू0 19290 से संशोधित होकर रू0 12255.50 का बना है। वादी का कहना है की वह एक बी.पी.एल. उपभोक्ता है, जिनका विगत में बिल 200–400 रू0 के आसपास आता रहा है, और एकदम से इतना बिल आने के लिए उनका कोई दोष नहीं है। विभाग का कहना है कि दोषी मीटर रीडर तथा बिलिंग सुपरवाइजर को हटा दिया गया है। वादी ने बताया कि वह एकमुस्त इतना बिल जमा करने में असमर्थ हैं और निवेनद किया है कि संशोधित बिल, करंेट बिल के साथ 08 किश्तों में लिया जाए, जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है। वादी ने कहा है कि भविष्य में डंप रीडिंग की पुर्नवृत्ति को रोकने के लिए विभाग उच्च स्तर पर कार्यवाही करें।

आदेश

विभाग द्वारा डंप रीडिंग को संबंधित अवधि में वितरित कर वादी का बिल रू0 19290 से, रू0 12225.50 संशोधित कर दिया गया है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी को संशोधित बिल को प्रतिमाह 08 समान किश्तों में करंेट बिल के साथ भुगतान करने की सुविधा प्रदान करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

<u>**दिनांक – 27.02.2025**</u>

ओ0पी0 दीक्षित सदस्य तकनीकी	बी0 एस0 बिष्ट सदस्य उपभोक्ता	चामू सिंह गस्याल सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गर्स्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–213 / 2025

श्री मदन लाल पुत्र श्री बची राम,
ग्राम– धौलाड़, पो0ऑ0 –धौलाड़,
जिला– अल्मोड़ा। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– अल्मोडा। — प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या AR15102401352 के सापेक्ष उनका मीटर खराब था, जिसे विभाग द्वारा बदल दिया गया है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2024 में उनका बिल रू0 29000 आया है, जो कि बी.पी.एल. परिवार के लिए उचित नहीं है।

   प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 739 दिनांक 08.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 13.01.2025 में वादी की तरफ से श्री मदन लाल तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनका मीटर खराब था, जिसको दिनांक 09.07.2024 को बदल दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनका नवंबर 2024 का बिल 29000 रू0 आया था, जो कि बी.पी.एल. उपभोक्ता के लिए संभव नहीं है। वादी ने बताया की उनकें जनवरी 2024 तक के बिल ठीक आ रहे थे, लेकिन फरवरी में उनका बिल अचानक बढ़ गया। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर खराब अवधि का बिल 10 दिन के अंदर संशोधित कर अध्यतन बिल वादी को उपलब्ध कराए। अगली सुनवायी तिथि 27.01.2025 को नियत की गई थीं।

3. मंच की अगली सुनवायी दिनांक 27.01.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान AER ने बताया कि वादी का बिल IDF से संशोधित होकर रू0 29000 से रू0 1500 बना है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी की तिथि 27.02.2025 नियत की गयी थीं।

4. मंच की अंतिम सुनवायी दिनांक 27.02.2025 को वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक ने बताया कि वादी का बिल संशोधित होकर रू0 1500 का बना है। वादी का पक्ष जानने के लिए उनके द्वारा दिए गये फो0 नं0 8476975033 पर बात की गयी। वादी ने संशोधित बिल रू 1500 पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है, और वायदा किया है कि वह इस बिल को 07 दिन के अंदर जमा कर देंगे।

आदेश

विभाग द्वारा वादी का बिल आई.डी.एफ आधार से संशोधित कर दिया गया है, और अब संशोधित बिल रू 29000 से ठीक होकर रू0 1500 बना है, जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। वादी को कहा जाता है कि वह संशोधित बिल का भुगतान 07 दिन के अंदर करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – **27.02.2025**

27/02/25

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

बी0 एस0 बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता

चामू सिंह गर्ब्याल
सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–212/2024

श्री हरीश सिंह बिष्ट, वादी
निवासी– विवेकानन्दपुरी,
खत्याड़ी, जिला– अल्मोड़ा।

बनाम

अधिशासी अभियंता, प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– अल्मोडा।

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या ए.आर. 26542322912 के सापेक्ष उनका बिल औसतन 1000–1200 रू0 आता था जोंकि बढ़कर सितंबर 2024 में रू0 10212 रू0 आया है। उन्होंने बताया कि उनके मीटर के साथ चैक मीटर लगाया गया था तथा मीटर की एम.आर.आई की गयी थी। उसके बाद उनका मीटर बदल दिया गया है। उन्होंने बिल ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

   प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 737 दिनांक 03.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 13.01.2025 में वादी की तरफ से श्री हरीश सिंह बिष्ट तथा विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। उन्होंने बताया कि मीटर एम.आर.आई की गयी थी जिसके अनुसार मीटर खराब पाया गया। उन्होंने कहा कि एम.आर.आई रिपोर्ट के साथ विस्तृत आख्या मंच के समक्ष दिनांक 27.02.2025 से पहले प्रस्तुत कर दी जाएगी।

3. मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 27.02.2025 में वादी की तरफ से श्री हरीश सिंह बिष्ट तथा विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए।

विभाग ने बताया कि मीटर की एम.आर.आई की गयी थी जिसके अनुसार मीटर खराब पाया गया जिसको दिनांक 26.09.2024 को बदल दिया गया था। वादी ने बताया कि उनका बिल लगभग 1000–1200 रू0 के बीच में आता रहा है जो एकाएक जनवरी 2025 में 40122 रू0 निर्गत हुआ है जोंकि 02 किलोवाट विद्युत भार के लिए उचित नहीं है उन्होंने बिल संशोधन के लिए निवेदन किया है।

आदेश

विभाग द्वारा वादी के मीटर की एम.आर.आई की गयी थी जिसके अनुसार मीटर खराब पाया गया जिसको दिनांक 26.09.2024 में बदल दिया गया था।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि बदले गये नए मीटर के आधार पर, 06 महीने का औसत लेते हुए तथा मौसमी प्रभाव को ध्यान में रखते हुऐ, 15 दिन के अंदर, संशोधित बिल, वादी को उपलब्ध कराए। तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी को कहा जाता है कि वह विगत में निर्गत औसत बिलों के आधार पर लम्पसम्प 5000 रू0 जमा करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्‌घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 27.02.2025

ओ0पी0 दीक्षित	बी0 एस0 बिष्ट	चामू सिंह गर्स्याल
सदस्य तकनीकी	**सदस्य उपभोक्ता**	**सदस्य न्यायिक**

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1—चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2—ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3—भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या—211 / 2024

श्री रमेश चंद्र पुत्र श्री कृष्णानंद,
ग्राम– चीनाखान,
जिला– अल्मोड़ा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– अल्मोडा। प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या ए.आर. 24216411465 के सापेक्ष उनका विद्युत उपभोग अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक 20 युनिट से 66 युनिट के बीच, एम.डी. 01 किलोवाट के साथ, रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 02 किलोवाट से 01 किलोवाटर भार कम करने के लिए विभाग में निवेदन किया था जिसे संबंधित उपखण्ड अधिकारी ने रिजैक्ट कर दिया है। उन्होंने लोड कम करने के लिए विभाग को निर्देश देने को निवेदन किया है।

   प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 724 दिनांक 01.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 13.01.2025 और दिनांक 27.01.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. ने बताया की वादी का लोड कम कर दिया गया है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी दिनांक 27.02.2025 नियत की गयी थीं।

3. मंच की अंतिम सुनवायी दिनांक 27.02.2025 में वादी से उन्कें द्वारा दिए गये फो0 नं0 9717678739 पर सुनवायी की गयी। उन्होंने बताया कि उनका विद्युत भार 02 किलोवाट से कम कर, 01 किलोवाट कर दिया गया है और वह संतुष्ट हैं।

परिवाद संख्या–211 / 2024

आदेश

विभाग द्वारा वादी का विद्युत भार 02 किलोवाट से 01 किलोवाट कर दिया गया है जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 27.02.2025

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

बी0 एस0 बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता

चामू सिंह गर्व्याल
सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–225 / 2025

श्री विक्रम सिंह,
ग्राम– तड़ैनी, पो0ऑ0– जाँख,
तहसील–जैंती, जिला– अल्मोड़ा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– अल्मोडा। प्रतिवादी

निर्णय

1. वाँदी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या ए.आर. 28422918517 के सापेक्ष उनका 06 माह का बिल आई.डी.एफ. के आधार पर रू0 13790 निर्गत हुआ है जिसको भरने में वह असमर्थ हैं। उन्होंने बिल ठीक कराने का निवेदन किया है।

   प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 780 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.02.2025 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिऐ गये फोन0 9927726474 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय ने बताया की वादी का मीटर खराब होने के कारण उनका बिल सितंबर 2023 से मई 2024 तक आई.डी.एफ आधार पर निर्गत किया गया था। उन्होंने बताया कि वादी का मीटर दिनांक 10.06.2024 को बदल दिया गया है तथा वादी का बिल संशोधित होकर वर्तमान में रू0 1000 बना है, जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

आदेश

विभाग द्वारा वादी का बिल, आई.डी.एफ अवधि का संशोधित कर दिया गया है और संशोधित बिल वर्तमान में रू0 1000 बना है। जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। वादी को कहा जाता है कि वह संशोधित बिल 07 दिन के अंदर जमा करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 27.02.2025

ओ0पी0 दीक्षित	बी0 एस0 बिष्ट	चामू सिंह गस्याल
सदस्य तकनीकी	सदस्य उपभोक्ता	सदस्य न्यायिक